समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 24 August 2026

तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट मे कंहा : अभियोजन स्वीकृति मामलों मे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे है रांज्यपाल

Sanket Morankar Published on 10 Sep 2025

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्ट किया कि **अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction)** जैसे मामलों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा और वे अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि अभियोजन स्वीकृति का अधिकार निर्वाचित सरकार के पास है और राज्यपाल का दायित्व केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार निर्णय लेना है।

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में अभियोजन स्वीकृति से जुड़े विवादों और देरी ने संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना ने तर्क दिया कि **संविधान का अनुच्छेद 163** राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है।

सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में कोर्ट का फैसला **संविधान की व्याख्या और केंद्र-राज्य संबंधों** पर गहरा असर डालेगा।

अगली सुनवाई इस महीने के अंत में निर्धारित की गई है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.